पत्रांक–15/बी 1–11/2013 - 46

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

एस0 एम0 करीम,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय।

पटना, दिनांक 13/01/15

विषय : राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों को योजनान्तर्गत/गैर–योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी गई राशि के संबंध में सूचना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों को योजनान्तर्गत/गैर–योजनान्तर्गत विभिन्न मदों यथा विकास/वेतनादि/पेंशानादि एवं अन्य में व्यय हेतु सहायक अनुदान के अंतर्गत राशि उपलब्ध करायी जाती है, जिसका संधारण विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न बैंकों में अलग–अलग खातों में किया जाता है तथा राशि का व्यय किया जाता है।

अनुरोध है कि दिनांक 01.01.2015 की स्थिति के अनुसार आपके विश्वविद्यालय में योजनान्तर्गत/गैरयोजनान्तर्गत उपलब्ध अवशेष राशि की स्थिति बैंक खातावार निम्न प्रपत्र में अनिवार्यतः दिनांक 20.01.15 तक उपलब्ध करायी जाय :–

(i) योजना मद से प्राप्त अनुदान के संधारण के निमित्त बैंक खाता संबंधी सूचना

क्र0 सं0	बैंक का नाम	खाता संख्या	दिनांक 01.01.2015 को उपलब्ध अवशेष राशि
1	2	3	4

ii)

(ii) गैरयोजना मद से प्राप्त अनुदान के संधारण के निमित्त बैंक खाता संबंधी सूचना

क्र0 सं0	बैंक का नाम	खाता संख्या	दिनांक 01.01.2015 को उपलब्ध अवशेष राशि
1	2	3	4

उपरोक्त सूचना ई–मेल आईडी bih.higheredu@gmail.com पर भी भेजी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन,

13/01/15
(एस0 एम0 करीम)
निदेशक, उच्च शिक्षा